



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1948 (श10)

(सं0 पटना 954) पटना सोमवार 10 अगस्त 2026

सं0 06 / पणन (स0)—92 / 2026—4272

सहकारिता विभाग

संकल्प

30 जुलाई 2026

विषय:— बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी शृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघों एवं समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा रिफर वाहन हेतु कुल राशि 1,06,39,24,750 (एक अरब छः करोड़ उनतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ पचास) रू0 मात्र की योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45,50,80,880 (पैंतालीस करोड़ पचास लाख अस्सी हजार आठ सौ अस्सी) रू0 मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाना, सब्जी आपूर्ति शृंखला को प्रभावी बनाना, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध कराना एवं सब्जी के क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन करना है। इसी उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गयी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2020 में राज्य स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन परिसंघ (वेजफेड) का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) तथा 08 सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघों का गठन किया जा चुका है एवं पूर्णियाँ सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ के गठन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।

2. योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषकों से उपभोक्ताओं तक एकीकृत एवं सुदृढ आपूर्ति शृंखला विकसित करने के लिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सहकारी परिस्थितिकी तंत्र के विस्तार की आवश्यकता है। इसके निमित्त आधारभूत एवं व्यावसायिक संरचना को सशक्त किये जाने हेतु निम्नांकित कार्य किये जायेंगे:—

(क) **पंचायत स्तरीय सब्जी संग्रहण केंद्रों की स्थापना:—** ग्रामीण क्षेत्रों के सब्जी उत्पादक किसानों से प्रत्यक्ष रूप से सब्जियों का संग्रहण, प्राथमिक छंटाई एवं तौल तथा परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यह केंद्र उन प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे, जहाँ प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना स्वीकृत अथवा संचालित हैं। ऐसे 114 प्रखंडों की पंचायतों में प्रति प्रखंड 02 से 04 पंचायतों का चयन

कर कुल 350 संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए लगभग 700 वर्गफीट भूमि पर ₹10.205 लाख प्रति इकाई की लागत से दो वर्षों में कुल ₹35.7175 करोड़ व्यय किए जाएंगे। चयनित पंचायतों में संग्रहण केन्द्र की स्थापना सब्जियों के क्लस्टर करने के उपरांत किया जाएगा। क्लस्टर चिन्हित करने हेतु वेजफेड द्वारा हाई वैल्यू सब्जियों/अधिक मांग वाली सब्जियों (MoU आधारित मांग एवं बाजार आधारित मांग) एवं सब्जी का अधिक उत्पादन करने वाले पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायतों के चयन की पात्रता एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण वेजफेड द्वारा किया जाएगा।

(ख) **प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास:**—योजना अंतर्गत 50 नए प्रखंडों में आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। प्रत्येक इकाई लगभग 10000 वर्गफीट भूमि पर एक चहारदीवारी के अंतर्गत होगी, जिसमें 10 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज; 20 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम; क्रय-विक्रय, ग्रेडिंग, सफाई एवं माप-तौल हेतु शेड, बीज, उर्वरक एवं तरकारी विक्रय केंद्र; बहुउद्देशीय खुला कार्यक्षेत्र, गार्ड रूम एवं कार्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्रति इकाई प्राक्कलित राशि ₹1.1223309 करोड़ है। चयनित प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की सूची में अपरिहार्य स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन विभाग के अनुमोदनोपरांत वेजफेड द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) **प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों एवं सब्जी संघों हेतु कार्यशील पूंजी:**—पूर्व से गठित क्रियाशील संघों एवं समितियों के साथ-साथ नवगठित संघों व समितियों, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में हैं, को दीर्घकाल में आत्मनिर्भर एवं लाभकारी व्यवसायिक संस्था के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने एवं व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तार देने हेतु प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों तथा सब्जी संघों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी एवं उक्त राशि का उपयोग व्यवसाय वृद्धि हेतु चक्रिय पूंजी के रूप में किया जाएगा। समिति के द्वारा इस राशि का उपयोग केवल सब्जी क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियों यथा-सब्जियों की खरीद-बिक्री, सब्जियों के परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग एवं अन्य मूल्य संवर्द्धन में किया जाएगा। इसके निमित्त प्रत्येक PVCS को ₹2.00 लाख रुपये एवं सब्जी संघ को ₹10.00 लाख की दर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) **सब्जी संघ एवं PVCS स्तर पर रीफर वैन के क्रय पर अनुदान की व्यवस्था:**—एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करने तथा उत्पादक किसानों से संग्रहित की गई सब्जियों को सुरक्षित एवं समय पर विपणन केंद्रों व स्थानीय बाजारों तक पहुँचाने के उद्देश्य से सब्जी संघ एवं PVCS स्तर पर 1700–2000 किलोग्राम पेलोड क्षमता एवं न्यूनतम 75 HP इंजन वाले रीफर वैन के क्रय हेतु 50 प्रतिशत सहायता अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत 05 सब्जी संघ (मगध, भागलपुर, मुंगेर, सारण एवं शाहाबाद) स्तर पर कुल 05 रीफर वैन (प्रत्येक संघ हेतु 01) तथा 30 चिन्हित PVCS के स्तर पर 30 रीफर वैन (प्रत्येक चयनित PVCS हेतु 01) के क्रय पर प्रति इकाई अधिकतम ₹8.50 लाख की दर से सहायता अनुदान दिया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य PVCS के चयन की पात्रता एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण वेजफेड द्वारा किया जाएगा।

3. उक्त योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित इकाई एवं कुल लागत से संबंधित तालिकावार विवरणी निम्नवत् है:—

क्रम सं०	विवरणी	कुल प्रस्तावित इकाई	प्रति इकाई लागत (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	(वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए) (लाख ₹0 में)	(वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए) (लाख ₹0 में)	अभियुक्ति
क.	पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्र	350	10.20500	3571.75000	1020.50000	2551.25000	
ख.	प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना	50	112.23309	5611.65450	2244.66180	3366.99270	
ग.	(i) PVCS को कार्यशील पूंजी की व्यवस्था	534	2.00000	1068.00000	1068.00000		
	(ii) सब्जी संघों को कार्यशील पूंजी की व्यवस्था	9	10.00000	90.00000	90.00000		

क्रम सं०	विवरण	कुल प्रस्तावित इकाई	प्रति इकाई लागत (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	(वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए) (लाख ₹० में)	(वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए) (लाख ₹० में)	अभियुक्ति
घ.	(i) संघ स्तर पर रिफर वैन	5	8.50980	42.54900	42.54900		अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान के आधार पर
	(ii) PVCS स्तर पर रिफर वैन	30	8.50980	255.29400	85.09800	170.19600	
	कुल व्यय (लाख में)			10639.24750	4550.80880	6088.43870	

4. विभागीय संकल्प संख्या-10615, दिनांक 05.12.2018 के प्रावधानों के आलोक में अधिसंरचना अधिष्ठापन से संबंधित पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्र एवं प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना निर्माण की उप-योजना में 50 प्रतिशत सहायता अनुदान, 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी निवेश तथा शेष 25 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था लागू होगी। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों एवं सब्जी संघों हेतु कार्यशील पूंजी की उप-योजना के मामले में शत-प्रतिशत राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। सब्जी संघ/PVCS स्तर पर रिफर वैन के क्रय पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है एवं शेष 50 प्रतिशत राशि सब्जी संघ/PVCS अपने सदस्यों से हिस्सा पूंजी के रूप में संग्रहण कर सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का प्रवाह राज्य सरकार/विभाग से वेजफेड, वेजफेड से सब्जी संघ तथा सब्जी संघ से प्राथमिक समितियों के माध्यम से होगा। अनुदान/हिस्सा पूंजी/ऋण मद में राज्य सरकार से जिस अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, अनुवर्ती उपयोगकर्ता समिति को उसी अनुपात में राशि विमुक्त की जायेगी।

5. योजना अंतर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियाँ पंचायत स्तर पर संग्रहण केंद्रों का संचालन कर किसानों से उचित मूल्य पर सब्जियों की खरीद करेगी तथा तौल, छटाई एवं ग्रेडिंग के उपरांत उसका परिवहन प्रखंड स्तरीय संरचनाओं तक किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वेजफेड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित सब्जी उत्पादक सहकारी संघ एवं प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर के अधिसंरचना निर्माण की अवधि कार्यादेश निर्गत की तिथि से छः माह होगी।

6. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत सुसंगत बजट शीर्ष में 65 करोड़ राशि उपबंधित है। उपरोक्त कंडिका-03 की सारणी के अनुसार वर्ष 2026-27 में 4550.80880 लाख की राशि का व्यय एवं 2027-28 में 6088.43870 लाख की राशि का व्यय किया जायेगा।

7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

8. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.07.2026 में मद सं०-20 के रूप में (संचिका सं०-06/पणन (स०)- 92/2026, पृ०-18/टि.) स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 954-571+20-डी०टी०पी०
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>